

144 (10)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन जे.एल.एन.मार्ग जयपुर (राज.)

कमांक :प. 101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/स्वयं सेवी संस्था/2016-17/1194

जयपुर, दिनांक : 17-8-2016

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास तथा अधिकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों में राज्य के पात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावे।

अल्पसंख्यक छात्रावासों में स्थान रिक्त होने की स्थिति में राजस्थान राज्य के बाहर के योग्य अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रावासों में आवास हेतु प्रवेश दिये जाने के संबंध में प्रवेश प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(शंकतुला सिंह)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक :प. 101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/स्वयं सेवी संस्था/2016-17/1194-45 जयपुर, दिनांक : 17-8-2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,